



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं० 871/2010, धारा- 307 भा०द०सं० व 12/14 DAA Act में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे० जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त 1.हरिओम सिंह चौहान पुत्र मुंशी सिंह चौहान निवासी ग्राम शंकरपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2.बब्लू उर्फ स्वराज सिंह पुत्र स्व० जयहिन्द सिंह निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री सुभाष कुमार
श्रीवास्तव



विवेचक- SO श्री
अशोक कुमार सिंह



पैरोकार- कुरारा
का० रजनीश कुमार